प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 81/12 – 13

दिनेश शर्मा वनाम् विनोद सिंह एवं अन्य

आदेश

आवेदक दिनेश शर्मा पिता स्व०सच्चिदानंद शर्मा साकिन पुरान थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन का नापी कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा पुरान थाना करपी जिला अरवल में अवस्थित है, निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
138	965 एवं 966	कुल 71 डी०में 17.25डी०जानिब मध्य में	उ० विनोद सिंह,प्रेम नारायण सिंह,जगतनारायण शर्मा द० विश्वनाथ शर्मा पू० प्रेम नारायण शर्मा प० विजय नारायण शर्मा

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) उभय पक्ष एक ही वंश के वृक्ष शाखा है तथा उभय पक्षों के बीच पूर्व में ही खानगी बॅटवारा हो चुका है तथा सभी फरीकैन अपने अपने हिस्से की भूमि एवं मकान पर दखल काबिज है।

(2) विवादित जमीन खाता नं० 138 खेसरा नं० 965 एवं 966 कुल रकवा 71 डी० उभय पक्ष की खतियानी भूमि है तथा खतियान में उभय पक्ष के पूर्वज स्व०रूपन सिंह,स्व०रामलाल सिंह,स्व०रामधारी सिंह एवं स्व० देव कुमार सिंह चारों भाई का नाम सदेंह दर्ज है तथा चारों भाई प्रश्नगत भूमि के समान अधिकारी है।

(3) रामधारी सिंह वादी के परदादा हुए तथा वादी के दादा रामनाथ सिंह के एकमात्र पुत्र वादी के पिता सच्चिदानंद सिंह उर्फ सुचित सिंह हुए।

(4) वादी चार भाई हैं लेकिन शेष तीन भाइयों द्वारा प्रश्नगत खाता प्लॉट में 1/4 सम्पूर्ण भाग वादी को अपने भाइयों से हिस्सा में प्राप्त हुआ है।

(5) वादी द्वारा अंचल अधिकारी करपी के कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सरकारी अमीन से मापी कराये हैं जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी हिस्सा से अधिक भूमि पर कब्जा किये हुए है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक ने अपने हिस्से की भूमि का मापी कराकर पक्का पीलरींग कराने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) लाया गया वाद त्रुटिपूर्ण एवं अवांछित है चूँकि प्रश्नगत भूमि वादी का बोनाफाईडी जमीन नहीं है और ना हीं बोनाफाईडी कागज वादी के पास उपलब्ध है।

(2) वादी ने अपने आवेदन के साथ दूसरे भूमि का कागजात दिखाकर न्यायालय को झॉसा

देकर कार्यवाही प्रारंभ करा लिया है।

(3) विपक्षी ने अपने आवेदन के पारा – 5 में हिस्सा एवं दखल कब्जा मॉगा है जबकि उक्त भूमि उनकी है ही नहीं और ना ही उन्हें हिस्सा में प्राप्त है।

(4) विवादित जमीन में आवेदक के अन्य भाइयों का भी हिस्सा है,परन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित जमीन पर हिस्सा के अनुसार नापी कराकर पीलरींग कराने हेतु यह वाद लाया है। परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि खतियानी रैयतों के बीच बॅटवारा हो चुका है और विवादित जमीन आवेदक के पूर्वज के हिस्सा में मिला है। साथ ही आवेदक द्वारा ऐसा कोई कागजात प्रस्तुत नही किया है कि उनके अन्य भाइयों ने अपना हिस्सा आवेदक को दे दिया है । दाखिल अमीन प्रतिवेदन के अबलोकन से भी स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच में विवादित जमीन का बॅटवारा नहीं हुआ है। बिना बॅटवारा के विवादित जमीन का नापी कराकर पीलरींग कराना उचित नहीं है। वाद को खारिज किया जाता है। आवेदक को निदेश दिया जाता है कि वे सर्वप्रथम सक्षम न्यायालय से अपने हिस्से का निर्धारण कराये और तदुपरान्त उपरोक्त अनुतोष हेतु वाद दायर करें।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।